राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल–462016 (म.प्र.)

बेवसाईट– http://www.mpseiaa.nic.in
दूरभाष नं. – 0755–2466970, 2466859
फैक्स नं. – 0755–2462136

No: / SEIAA/2022
Date: 04/02/2021

प्रति,

कलेक्टर

जिला, सागर

विषयः– प्रकरण क्र. 8821 / 2021 परियोजना प्रस्तावक श्री जालम यादव आत्मज श्री छोटेलाल यादव, निवासी, संतकबीर वार्ड करीला जिला सागर (म.प्र.) द्वारा मुरूम खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 8000 घनमीटर प्रतिवर्ष रकबा 2.70 हेक्टेयर, खसरा क. 01, ग्राम आमोनी, तहसील व, जिला सागर (म.प्र.)।

प्रकरण राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की 702 वी बैठक दिनांक 28.01.2022 को चर्चा किया गया एवं यह अभिलिखित किया गया ....

SEAC की 538वीं बैठक दिनांक 06.01.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नलिखित निर्णय लिया गया :–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना में उल्लेखित अक्षांश देशांश के आधार पर Google Image अनुसार प्रस्तावित खदान के निकटतम बांध संरचना के जलग्रहण क्षेत्र में होना परिलक्षित है।

अतः प्रकरण में जिला कलेक्टर, सागर से प्रस्तावित खदान के निकटतम बांध संरचना के जलग्रहण क्षेत्र में होने की वास्तविक स्थिति के दृष्टिगत स्पष्ट अभिमत सहित जानकारी 10 दिवस में प्राप्त की जाये तदानुसार प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करने का निर्णय लिया जा सके।

निर्देशों के परिपालन में कृपया, उक्त प्रकरण में प्रस्तावित खदान के निकटतम बांध संरचना के जलग्रहण क्षेत्र में होने की वास्तविक स्थिति के दृष्टिगत स्पष्ट अभिमत सहित जानकारी 10 दिवस में इस कार्यालय को भिजवाने का कष्ट करें। जिससे प्रकरण में तदानुसार यथाउचित अग्रिम कार्यवाही करने का निर्णय लिया जा सके।

o/c (आलोक नायक)
प्रभारी अधिकारी

पृ.क्र. 29 /SEIAA/2022 दिनांक – 04/02/22

प्रतिलिपि :–

1. खनिज अधिकारी जिला सागर (म.प्र)।
2. श्री जालम यादव आत्मज श्री छोटेलाल यादव, निवासी, संतकबीर वार्ड करीला जिला सागर (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ।

o/c प्रभारी अधिकारी